



प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/सीडा/यूपीडा/ यूपीसीडा/बीडा ।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
6. प्रबंध निदेशक, पिकप।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 02 जून, 2025

विषय- उत्तर प्रदेश मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति-2024 के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि शासन की अधिसूचना संख्या-62/2024/3243/77-6-2024-01(लाजिस्टिक्स)/2024 दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 द्वारा 'उत्तर प्रदेश मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति-2024' प्रख्यापित की गई है।

2- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु दिशा-निर्देश एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया शासनादेश संख्या-21/2023/1307/77-6-23-2(एम)/2022, दिनांक 14.04.2023 द्वारा निर्धारित की गई है।

3- विषयगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि 'उत्तर प्रदेश मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति-2024' के अंतर्गत स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन के आवेदनों को संसाधित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-21/2023/1307/77-6-23-2(एम)/2022, दिनांक 14.04.2023 द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया को ग्रहण (Adopt) करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही निष्पादित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू०पी०।
3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामध्यान रावत

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।